

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

शैतानसिंह

बनाम

लामूसिंह

अन्तर्गत धारा 53,188,88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर

तारिख हुकम	हुक्त या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण विडो करने का प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया हमारा राजीनामा हो चुका है अतः प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है प्रकरण को जरिये विडो खारिज किया जावे। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण को जरिये विडो खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>





11/3/24

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय
द्वारा राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त हैं।
पत्रावली दिनांक 31/3/24 को पेश हुई।

31/3/24

31/3/24 पत्रावली पेश हुई / दक्षिणपट्टा विधानसभा

अ.प.अ.

द्वारा प्रस्तुत कर विवेकन विधायकी

पक्षकारों के माध्यम द्वारा सदस्यों

के राजीनामा से युक्त है। फल: बाद

को दानो चलाया नहीं आये है

बाद को जीटवे विधे स्थिति विधायकी

जाये।

दक्षिणपट्टा विधानसभा द्वारा प्रस्तुत बाद

विधे का आदेश प.अ. स्थिति विधायकी

जाता है तथा बाद को जीटवे

विधे स्थिति विधायकी जाता है

पत्रावली केसल सुधार सेक्टर

सम्बन्ध से कद से

(म)